

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3018/2026

Paramjeet Singh @ Pamma S/o Atar Singh, Aged About 36
Years, R/o Ward No 4 Chak 4 B Badi, Pakki, Police Station
Hindumalkot, Tehsil And District Sri Ganganagar.
(Presently Lodged In Central Jail Sriganganagr)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री हिम्मत जग्गा
For Respondent(s)	:	श्री हनुमान प्रजापति, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

12/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— हिन्दुमलकोट, जिला— श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 296/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी मंगत सिंह के आधिपत्य से MR Tramadol Hydrochloride sustained release Tablests I.P. 100 mg कुल 136.04 ग्राम बरामद होना दर्शित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को केवल मात्र सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त मंगत सिंह को MR Tramadol

Hydrochloride sustained release Tablests उपलब्ध करवायी हो और अन्य सहअभियुक्त मंगत सिंह का जमानत आवेदन पत्र समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण मुख्यतः मूल अभियुक्त मंगत सिंह से आधिपत्य से MR Tramadol Hydrochloride sustained release Tablests I.P. 100 mg कुल 136.04 ग्राम बरामद होना बताया है। सहअभियुक्त मंगत सिंह का जमानत आवेदन पत्र पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त परमजीत सिंह उर्फ पम्मा पुत्र अतर सिंह को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J